संख्या:25/2015/2258/26-2-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन
2. प्रमुख सचिव,
   बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक :30 सितंबर, 2015

विषय: **समाजवादी पेंशन योजना के स्वास्थ्य से संबंधित शर्तों की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था के संबंध में**

महोदय,

समाजवादी पेंशन योजना में लाभान्वित किये गये परिवारों के 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों का नियमित टीकाकरण, सभी गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव तथा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का वर्ष में कमकम एक बार स्कूल में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में -से- स्वास्थ्य परीक्षण कराने की शर्तें रखी गयी हैं। स्वास्थ्य से संबंधित उपरोक्त शर्तों की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था लागू की गयी है और इस संबंधमें शासन के पत्र संख्या-23/2015/2194/26-2-2015, दिनांक 14 सितंबर, 2015 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं।

**नोडल अधिकारी**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के स्वास्थ्य से संबंधित समस्त शर्तों के कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण से संबंधित सूचनायें एकत्रित करने, संकलित करने व सत्यापित करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज तथा जनपद स्तर पर डी0सी0पी0एम0 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देश में समस्त कार्यों का संपादन करेंगे।-

सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज तथा डी0सी0पी0एम0 का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। डिजिटल सिग्नेचर बनाये जाने के संबंध में निर्देश मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्याएस-0पी0एसम0यूएम/0आई0एस0/डी0एस0/2015-16/72ए/6660-75, दिनांक 10 सितंबर, 2015 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

एन0आई0सी0 के द्वारा विकसित टीकाकरण मॉड्यूल, प्रसूति मॉड्यूल, परिवार कल्याण मॉड्यूल तथा विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत निर्देश निम्नवत् हैं-:

I. **टीकाकरण मॉड्यूल**

समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों के नियमित टीकाकरण का कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण किये जाने की व्यवस्था एन0आई0सी0 के द्वारा विकसित **"टीकाकरण मॉड्यूल"** के माध्यम से किया जाना है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-:निर्देश निम्नवत् है-

**मास्टर डाटा**

1. वर्ष 2014-15 में समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये गये लगभग 33.35 लाख परिवारों के बेसलाईन सर्वेक्षण का विवरण वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड किया जाना है।
2. अद्यतन जानकारी के अनुसार लगभग 30 लाख परिवारों के बेसलाईन सर्वेक्षण का विवरण वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है। अवशेष परिवारों का विवरण विलंबतम दिनांक 30 सितंबर, 2015 तक अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. जनपदों द्वारा अपलोड की गयी डाटा प्रत्येक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज के लॉगिन आई0डी0 पर ग्राम पंचायत वार प्रदर्शित की जायेगी, जिसका सत्यापन अनिवार्य रूप से संबंधित ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्जडी/0सी0पी0एम0/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपने डिजिटल सिग्नेचर से करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित किये गये डाटा को ही मास्टर डाटा में अंतिम रूप से सम्मिलित किया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त लाभान्वित परिवारों के बेसलाईन सर्वेक्षण का विवरण अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर पर अपलोड तथा संबंधित ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्जडी/0सी0पी0एम0/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। यदि किसी जनपद में यह कार्य **दिनांक 30 सितंबर, 2015 तक** पूर्ण नहीं होता है तो वहां उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्जडी/0सी0पी0एम0 /मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।
5. जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके जनपद के समस्त लाभान्वित परिवारों के बेसलाईन सर्वेक्षण का विवरणअपलोड किया जा चुका है।
6. उक्त अपलोड किये गये विवरण से ही टीकाकरण मॉड्यूल का मास्टर डाटा पूर्ण हो सकेगा।जिन परिवारों में 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चे बेसलाईन सर्वेक्षण में इंगित किये गये हैं, उनका नाम ही टीकाकरण मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा।
7. यदि बेसलाईन सर्वेक्षण के उपरांत किसी लाभान्वित परिवार में बच्चे का जन्म होता है, तो उससे संबंधित विवरण की प्रविष्टि टीकाकरण मॉड्यूल में तत्काल करने की व्यवस्था है और इसे तत्काल पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**टीकाकरण का अनुश्रवण**

8. बेसलाईन सर्वेक्षण का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आशा बहुओं के माध्यम से कराया गया है और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने इस कार्य को संपादित किया है।
9. प्रत्येक आशाए/0एन0एम0 अपने क्षेत्र के लाभार्थी परिवार, जिनमें 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चे हैं, की जन्म तिथि तथा टीकाकरण की वर्तमान स्थिति विलंबतम दिनांक 05 अक्टूबर 2015 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर / उपलब्ध करा देंगी। तदुपरांत इन सभी बच्चों की जन्म तिथि एवं टीकाकरण की स्थिति का "टीकाकरण मॉड्यूल" में प्रविष्टि संबंधित ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्ज **विलंबतम दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 तक** कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. सभी ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्ज टीकाकरण मॉड्यूल में की गयी प्रविष्टियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से अपने डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे।
11. तदुपरांत समस्त आशा बहुए/0एन0एम0 अपनेअपने क्षेत्र में समाजवादी पेंशन योजना के - अंतर्गत लाभान्वित किये गये परिवारों में0 से 5 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के टीकाकरण की अद्यावधिक स्थिति नियमित रूप से अगले माह की 07 तारीख से पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगीसा/, जहॉ कम्प्यूटर आपरेटर तत्काल सॉफ्टवेयर पर आशा बहुए/0एन0एम0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना प्राप्त होने अथवा न होने का विवरण ऑनलाईन दर्ज करेंगे।
12. जिन आशा बहुओंए/0एन0एम0 के द्वारा उक्त तिथि तक टीकाकरण की अद्यावधिक स्थिति उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उन्हें एक एस0एम0एस0 एलर्ट माह की 08 तारीख को जारी किया जायेगा। यदि 15 तारीख तक टीकाकरण की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी जाती हैए तो उनका नाम "डिफाल्टर सूची" में सम्मिलित हो जायेगा और उन्हें एक चेतावनी एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
13. तदुपरांत माह के 15 तारीख तक टीकाकरण की अद्यावधिक स्थिति "टीकाकरण मॉड्यूल" में ब्लॉक स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसका माह के 25 तारीख तक ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्ज द्वारा अनिवार्य रूप से अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित किया जायेगा।
14. माह के 25 तारीख के उपरांत भी यदि किसी आशा बहुए/0एन0एम0 का नाम डिफाल्टर सूची में सम्मिलित रहता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
15. समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों के 0 से 5 आयु वर्ग के समस्त बच्चों के टीकाकरण की स्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जाना है तथा उसे "टीकाकरण मॉड्यूल" पर अपडेट करने की कार्यवाही की जानी है चाहे उस बच्चे का जन्म किसी सरकारी अथवा निजी चिकित्सालय में हुआ हो अथवा घर पर।
16. यदि बच्चे का टीकाकरण किसी निजी चिकित्सालय में हुआ है, तो ऐसी दशा में टीकाकरण की सूचना एकत्रित कर "टीकाकरण मॉड्यूल" पर अपडेट किया जाना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

## II. प्रसूति मॉड्यूल

17. समाजवादी पेंशन योजना के बेसलाईन सर्वेक्षण में लाभान्वित परिवारों में लगभग 25 हजार गर्भवती महिलायें चिन्हित् की गयी हैं। इन गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य परीक्षणएवं उपलब्ध करायी गयी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी **"प्रसूति मॉड्यूल"** में दर्ज की जानी है।
18. आशा बहुए/0एन0एम0 द्वारा उपरोक्त परिवारों की सभी गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पूर्व जांच की वर्तमान स्थिति विलंबतम दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया / ।जाना है
19. तदुपरांत ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्ज यह सुनिश्चित करायेंगे कि ऐसे सभी गर्भवती महिलाओं की वर्तमान स्थिति की प्रविष्टि **विलंबतम दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 तक** प्रसूति मॉडयूल में कर दी जाय।
20. सभी ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्ज प्रसूति मॉडयूल में की गयी प्रविष्टियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से अपने डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे।
21. यदि बेसलाईन सर्वेक्षण के उपरांत किसी भी समय समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवार में किसी महिला के गर्भवती होने की सूचना आशा बहुए/0एन0एम0 को मिलती है, तो उसे तत्काल जच्चानिर्गत कर उसकी सूचना अगल बच्चा कार्ड-े माह के 07 तारीख से पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी, जहॉ कम्प्यूटर आपरेटर तत्काल प्रसूति मॉडयूल में उक्त विवरण को दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
22. प्रत्येक आशा बहुए/0एन0एम0 अपने क्षेत्र की सभी लाभान्वित परिवारों की गभर्वती महिलाओं को विगत माह में उपलब्ध करायी गयी स्वास्थ्य सुविधा व स्वास्थ्य जांच की जानकारी अगले माह के 07 तारीख से पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसामुदायिक स्वास्थ्य / केन्द्रपर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।
23. प्रत्येक कम्प्यूटर आपरेटर माह के 07 तारीख तक आशा बहुए/0एन0एम0 द्वारा गर्भवती महिलाओं से संबंधित सूचना प्राप्त होने अथवा न होने का विवरण ऑनलाईन दर्ज करेंगे।
24. जिन आशा बहुओंए/0एन0एम0 के द्वारा उक्त तिथि तक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल व जॉच की अद्यावधिक स्थिति उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उन्हें एक एस0एम0एस0 एलर्ट माह की 08 तारीख को जारी किया जायेगा। यदि 15 तारीख तक भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उनका नाम डिफाल्टर सूची में सम्मिलित हो जायेगा और उन्हें एक चेतावनी एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
25. तदुपरांत माह के 15 तारीख तक सभी गर्भवती महिलाओं की अद्यावधिक स्थिति "प्रसूति मॉड्यूल" में ब्लॉक स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसका **माह के 25 तारीख तक** ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्ज द्वारा अनिवार्य रूप से अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

26. माह के 25 तारीख के उपरांत भी यदि किसी आशा बहुए/0एन0एम0 का नाम डिफाल्टर सूची में सम्मिलित रहता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
27. समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों के समस्त गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व एवं प्रसव के उपरांत कम कम-से-02 माह तक की स्वास्थ्य स्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जाना है तथा उसे "प्रसूति मॉड्यूल" पर अपडेट करने की कार्यवाही की जानी है चाहे प्रसव सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल अथवा घर पर हुआ हो।
28. यदि प्रसव किसी निजी चिकित्सालय में हुआ है, तो ऐसी दशा में प्रसव तथा प्रसव के बाद देखभाल व जॉच की सूचना एकत्रित कर "प्रसूति मॉड्यूल" पर अपडेट किया जाना है।
29. **सभी आशा बहुए/0एन0एम0 यह सुनिश्चित करेंगी कि समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवार की गर्भवती महिलाओं का अनिवार्य रूप से संस्थागत प्रसव कराया जाय।**
30. इस प्रयोजनार्थ 102 एम्बुलेंस की सेवा भी इन गर्भवती महिलाओं को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाय कि इन्हें "जननी सुरक्षा योजना" के अंतर्गत भी समस्त सुविधायें पूर्ण रूप से प्राप्त हों।
31. प्रसूति मॉड्यूल में की गयी प्रविष्टियों का सत्यापन, 102 एम्बुलेंस सेवा व जननी सुरक्षा योजना की पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से की जा रही भुगतान से संबंधित डाटा का विश्लेषण एन0आई0सी0 के द्वारा राज्य स्तर पर किया जायेगा।
32. यदि किसी स्तर पर डाटा में भिन्नता पायी जाती है, तो संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

## III <u>परिवार कल्याण मॉड्यूल</u>

33. लाभान्वित परिवारों में लक्षित दंपात्तियों द्वारा अपनायी जा रही अंतराल विधि / स्थायी परिवार नियोजन के साधनों की सूचना भी नियमित रूप से एकत्र की /अस्थायी जानी है।
34. इस सूचना को एकत्रित करने के लिए विकसित प्रपत्र संलग्न है।
35. प्रत्येक आशा बहुए/0एन0एम0 अपने क्षेत्र में लाभान्वित परिवारों के लक्षित दम्पत्तियों को छोटे परिवार का महत्व समझाने का कार्य भी करेंगी और आवश्यकतानुसार उन्हें विभिन्न परिवार कल्याण की सुविधायें उपलब्ध करायेंगी।
36. विगत माह में उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण भी प्रत्येक आशा बहुए/0एन0एम0 अगले माह के 07 तारीख के पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसामुदायिक / स्वास्थ्य केन्द्रपर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी, जहॉ कम्प्यूटर आपरेटर तत्काल परिवार कल्याण मॉड्यूल में उक्त विवरण को दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
37. प्रत्येक कम्प्यूटर आपरेटर माह के 07 तारीख तक आशा बहुए/0एन0एम0 द्वारा लक्षित दम्पत्तियों को उपलब्ध करायी गयी परिवार कल्याण सुविधाओं से संबंधित सूचना प्राप्त होने अथवा न होने का विवरण ऑनलाईन दर्ज करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

38. जिन आशा बहुओंए/0एन0एम0 के द्वारा उक्त तिथि तक उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उन्हें एक एस0एम0एस0 एलर्ट माह की 08 तारीख को जारी किया जायेगा। यदि 15 तारीख तक भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उनका नाम डिफाल्टर सूची में सम्मिलित हो जायेगा और उन्हें एक चेतावनी एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

39. तदुपरांत माह के 15 तारीख तक सभी लक्षित दम्पत्तियों को उपलब्ध करायी गयी परिवार कल्याण सुविधाओं की अद्यावधिक स्थिति "परिवार कल्याण मॉड्यूल" में ब्लॉक स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसका **माह के 25 तारीख तक** ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्ज द्वारा अनिवार्य रूप से अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित किया जायेगा।

40. माह के 25 तारीख के उपरांत भी यदि किसी आशा बहुए/0एन0एम0 का नाम डिफाल्टर सूची में सम्मिलित रहता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

## IV. विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल

41. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों का विवरण उपस्थिति मॉड्यूल में इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध है। उक्त डाटा को ही **"विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल"** के मास्टर डाटा के रूप में उपयोग में लाया जायेगा।

42. नवंबर माह से परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण के समयसा-रिणी की प्रविष्टि प्रत्येक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल पर विलंबतम दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तक कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त प्रविष्टियों का सत्यापन अपने डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे।

43. तदुपरांत विगत माह के अंतिम दिवस तक अगले माह में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण की समयसारिणी तथा स्वास्थ्य परीक्षण करने - वाली टीम के सदस्यों की जानकारी की प्रवि्ष्टि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज द्वारा अनिवार्य रूप से विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल में की जायेगी तथा अपने डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जायेगा।

44. उक्त जानकारी मास्टर डाटा में सम्मिलित हो जायेगी और उसके आधार पर संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापकोंसहायक अध्यापकों को स/्वास्थ्य परीक्षण तिथि से 03 दिन पूर्व तथा स्वास्थ्य परीक्षण के 01 दिन पूर्व एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

45. संबंधित अध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित तिथि व समय पर विद्यालय के समस्त छात्र स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपलब्ध रहें।

46. जिस विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है, उस विद्यालय में कक्षावार अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सूची का प्रिंटआउट स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ले जायेंगे ताकि उन नामों के समक्ष स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थितअनुपस्थित छात्रों का / विवरण अंकित किया जा सके।

47. प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित विवरण को अंकित करने हेतु प्रारूप भी विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा, जिसका प्रिंटआउट स्वास्थ्य परीक्षण टीम अपने साथ लेकर विद्यालय जायेगी और उक्त प्रारूप में विवरण अंकित कर स्वास्थ्य परीक्षणोपरांत पूरी सामग्री संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज अथवा ब्लॉक स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर को उपलब्ध करा देंगे।

48. कम्प्यूटर आपरेटर नियमित रूप से निर्धारित समयसारिणी के अनुरूप विद्यालयों में - स्वास्थ्य परीक्षण हुआ अथवा नहीं, उसकी जानकारी वेबसाईट पर अपलोड करेंगे, जिसका डिजिटल सिग्नेचर से प्रत्येक सप्ताह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज सत्यापन करेंगे।

49. स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज की होगी।

50. यदि किसी कारण मास्टर डाटा में माह के दौरान विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण की समय-सारिणी में कोई परिवर्तन होता है, तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज तत्काल उक्त परिवर्तन का विवरण मास्टर डाटा में अपलोड करेंगे तथा अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित करेंगे।

51. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज यह सुनिश्चित करेंगे कि विगत माह में ऐसे सभी विद्यालय जिनके छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, से संबंधित जानकारी विलंबतम अगले माह की 25 तारीख तक विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल में अपलोड कर दिया जाय, जिसका सत्यापन वे स्वयं अपने डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे।

52. यदि इसमें कोई विलंब होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज की होगी। विलंब हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारीडी /0सी0पी0एम0 उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

V. **पुरस्कार योजना**

53. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ03 मण्डलों व जनपदों को चिन्हित् कर वहां के मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।/

54. -:तु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी आवश्यक होगीपुरस्कार हे

- मण्डल व जनपद में नियमित टीकाकरण) समस्त 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों का कम-से-का प्रतिशत कम (80 होना चाहिए।
- पुरस्कार हेतु वही ए0एन0एम0 व आशा बहु अर्ह होंगी, जो कभी डिफाल्टर सूची में नहीं रही हैं, जिनके क्षेत्र में नियमित टीकाकरण शतप्रतिशत रहता - है; समाजवादी पेंशन के लाभान्वित परिवार की सभी गर्भवती महिलाओं का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्थागत प्रसव हुआ हो, उन्हें 102 एम्बुलेंस सेवा, जननी सुरक्षा योजना का पूरा लाभ मिला हो तथा किसी भी गर्भवती महिला का प्रसव के पूर्व वा प्रसव केदौरान अथ/02 माह पश्चात् तक मृत्यु नहीं हुई हो,

- पुरस्कार हेतु वही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज अर्ह होंगे, जिनके क्षेत्र में नियमित टीकाकरण का प्रतिशत कम कम-से-90 रहता है, समाजवादी पेंशन योजना के लाभान्वित परिवार के बच्चों का शतप्रतिशत टीकाकरण - हो तथा समाजवादी पेंशन योजना के लाभान्वित परिवार की किया गया दौरान अथवा प्रसव के/किसी भी गर्भवती महिला का प्रसव के पूर्व02 माह पश्चात् तक मृत्यु नहीं हुई हो।
- ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरस्कार हेतु अर्ह होंगे, जहॉ नियमित टीकाकरण का प्रतिशत कम कम-से-90 रहता है, समाजवादी पेंशन योजना के लाभान्वित परिवार के बच्चों का शतप्रतिशत टीकाकरण किया गया हो - तथा समाजवादी पेंशन योजना के लाभान्वित परिवार की किसी भी गर्भवती महिला का प्रसव के पूर्व दौरान अथवा प्रसव के/02 माह पश्चात् तक मृत्यु नहीं हुई हो।

55. वित्तीय वर्ष 2015-16 में नवंबर, 2015 से मार्च, 2016 तक की सूचना के आधार पर पुरस्कार हेतु मण्डल, जनपद, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियोंकर्मचारियों का चयन किया / जायेगा। वर्ष2016-17 से पूर्ण वित्तीय वर्ष की सूचना को आधार (अप्रैल से मार्च तक) मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
56. विकास खण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को देय पुरस्कार राशि का व्यय सामुदायिक सुविधाओ-स्वास्थ्य केन्द्र में जन◌ को बढ़ाने पर किया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहमति से ले सकेंगे।
57. त मण्डलोंपुरस्कृ, जनपदों, अधिकारियों व कर्मचारियों को देय पुरस्कार राशि निम्नवत् होगी-:

| | प्रथम | द्वितीय | तृतीय |
|---|---|---|---|
| मण्डलायुक्त | रू0 51,000/- | रू0 41,000/- | रू0 31,000/- |
| जिलाधिकारी | रू0 51,000/- | रू0 41,000/- | रू0 31,000/- |
| मुख्य विकास अधिकारी | रू0 51,000/- | रू0 41,000/- | रू0 31,000/- |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी | रू0 51,000/- | रू0 41,000/- | रू0 31,000/- |
| डी0सी0पी0एम0 | रू0 51,000/- | रू0 41,000/- | रू0 31,000/- |
| पुरस्कृत जनपद के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज | रू0 21,000/- | रू0 15,000/- | रू0 11,000/- |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | रू0 1,01,000/- | रू0 75,000/- | 51,000 रू0 /- |
| ए0एन0एम0 | रू0 21,000/- | रू0 15,000/- | रू0 11,000/- |
| आशा बहु | रू0 21,000/- | रू0 15,000/- | रू0 11,000/- |

58. उक्त पुरस्कार राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।
59. पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित पुरस्कार वितरण का कार्य अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमासमें पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपरोक्त दिशा निर्देशों से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार विशेष रूप से-0 से 5 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नियमित टीकाकरण कराकर तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर क्रमशः शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने एवं स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवार के सदस्यों को उक्त सुविधायें उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य संबंधी उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय क्योंकि कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था से संबंधित मॉड्यूलों का उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नवंबर, 2015 में किये जाने की संभावना है।

संलग्नकयथोक्त :

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या व तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ
4. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
11. विभागीय पुस्तिका

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

## समाजवादी पेंशन योजना

### लाभार्थी परिवार के 15-50 आयु वर्ग के परिवार नियोजन के संबंध में

जनपद-
विकास खण्ड-नगर/
ग्राम पंचायत-वार्ड/
लाभार्थी परिवार के मुखिया का नाम-
लाभार्थी आई0डी0 संख्या-
लाभार्थी का पता-
परिवार में विवाहित सदस्य, जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है -

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | लिंग | आयु | लाभार्थी से संबंध | परिवार नियोजन की स्थिति (नहीं/हां) | परिवार नियोजन का प्रकार (अस्थायी/स्थायी) | परिवार नियोजन के प्रकार का विवरण (इत्यादि/नसबंदी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।